न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
06 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	05.12.2018	28.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.......प्रार्थी

बनाम

1–श्री कमलेश जैन पुत्र श्री जगदीश प्रसाद एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल जनरल एवं किराणा स्टोर नानेर तह. पीपलू जिला टोंक राज. निवासी जाट मोहल्ला नानेर तह. पीपलू जिला टोंक

2–मैसर्स कमल जनरल एवं किराणा स्टोर नानेर तह. पीपलू जिला टोंक

3–श्रीमती वीना प्रोपरायटर मैसर्स बालाजी उद्योग जी1–150, इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी प्लॉट नं. 23 जय हनुमान कॉलोनी, ब्रज लाल नगर मालपुरा जिला टोंक

4–मैसर्स बालाजी उद्योग जी1–150, इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज.
.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

दिनांक 28.07.2022

:–**निर्णय**–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.10.2017 को समय 12:02 पीएम पर मैसर्स कमल जनरल एवं किराणा स्टोर नानेर तह. पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री कमलेश जैन पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा श्री कमलेश जैन ने मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **मिर्च पावडर बालाजी पोलीपैक (Chilli Powder Balaji Polypack)** अलग–अलग सील्ड पैक 500–500 ग्राम की 50 सील्ड पैक दुकान की रैक में रखी हुई थी, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री कमलेश जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री कमलेश जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मिर्च पावडर बालाजी पोलीपैक (Chilli Powder Balaji Polypack)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 पॉली पैक खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 500–500 ग्राम के 4 पॉली पैक कुल 2 किलोग्राम **मिर्च पावडर बालाजी पोलीपैक (Chilli Powder Balaji Polypack)** को 500–500 ग्राम के चारों पैकेटों को अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में अलग–अलग रखकर डिब्बों के ढक्कन को एयरटाइट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1750 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1750 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

श्री कमलेश जैन पुत्र श्री जगदीश प्रसाद एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल जनरल एवं किराणा स्टोर नानेर तह. पीपलू जिला टोंक ने मौके पर मैसर्स बालाजी उद्योग जी1–150, इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज. का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स बालाजी उद्योग जी1–150, इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज. को पत्र प्रेषित कर फार्म नं. 5 ए की सूचना व आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म से संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4786 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट स. एल.एस./680/एक्ट/2017/678 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिर्च पावडर बालाजी पोलीपैक (Chilli Powder Balaji Polypack)**एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 25.05.2018 को श्री भजन लाल सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश करने का अण्डरटेकिंग दिया एवं वकालतनामा पेश करने हेतु समय चाहा परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगण को कई अवसर देने के बावजूद भी वकालतनामा पेश नहीं किया गया और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिर्च पावडर बालाजी पोलीपैक (Chilli Powder Balaji Polypack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **मिर्च पावडर बालाजी पोलीपैक (Chilli Powder Balaji Polypack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 60,000/– (अक्षरे साठ हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/– (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 28.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0